सराहनीय कार्य-थाना सुनगढी पीलीभीत

दि0 25.02.2021 की शाम 18.15 बजे अभि0गण (1) मो0 इमरान पुत्र मकबूल खां (2) बन्टी पुत्र सईद खां व (3) आमान पुत्र मो0 हफीज खां नि0गण मो0 फीलखाना थाना कोतवाली पीलीभीत द्वारा मो0सा0 न0 यूपी26एई3467 हीरो डीलेक्स से जाकर निकट करबला रोड ईदगाह के पास राहगीर मो0 यामीन उम्र 35 वर्ष पुत्र अशफाक नि0- नौगवा पकडिया थाना सुनगढी पीलीभीत की गोली मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद अभियुक्त गणो मो0 इमरान , बन्टी, व आमान को आजम पुत्र परवेज खां नि0 नौगवा पकडिया थाना सुनगढी पीलीभीत मो0सा0 उपरोक्त को चलाकर तीनो अपराधियो को बैठाकर शरण दाता बनकर बरेली होते हुए अपनी ससुराल भावाना दिल्ली ले जाकर छिपा दिया था इस हत्या की घटना के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमती शहाना बेगम द्वारा अ0सं0 51/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया विवेचना से अपराध की योजना बनाने और अपराधियो को शरण देने में आजम पुत्र परवेज खां को जुर्म धारा 120 बी भादवि व 212 भादवि का अभियुक्त बनाया गया।

उपरोक्त वाछिंत अभि0गणो मो0 इमरान , बन्टी, आमान व मो0 आजम खां की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के आदेशानुसार उ0नि0 श्री अचल कुमार व पुलिस कर्मी थाना सुनगढी पीलीभीत व एसओजी की टीम पीलीभीत की लगाई गई थी। इसी क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय पीलीभीत के सफल पर्यवेक्षण के आधार पर मुख्य अभि0गण (1) बन्टी पुत्र सईद खां व (2) आमान पुत्र मो0 हफीज खां व (3) आजम पुत्र परवेज खां दि0 01.03.21 को पुलिस से छिपकर मा0न्याया0 पीलीभीत में आत्म समपर्ण करने के लिये जा रहे थे जिन्हे देवहा नदी पुल पर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिन्हे मा0न्याया0 पीलीभीत मे रिमाण्ड कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा ।

(1).गिरफ्तारी टीम

(थाना सुनगढी)	(एसओजी /साइबर सैल टीम)
1 श्री श्रीकान्त द्विवेदी प्रभारी निरीक्षक सुनगढी पीलीभीत)	1. निरीक्षक श्री नरेश कश्यप प्रभारी एसओजी पीलीभीत
2. श्री अचल कुमार चौकी प्रभारी आसाम रोड सुनगढी पीलीभीत	2. हे0का0 हरीश शर्मा एसओजी पीलीभीत
3. हे0का0 418 वेदप्रकाश (थाना सुनगढी पीलीभीत)	3. का0 उदयवीर (एसओजी पीलीभीत)
4. हे0का0 265 हरेन्द्र सिंह (थाना सुनगढी पीलीभीत)	4. का0 विक्रान्त (एसओजी पीलीभीत)
5. का0 1141 अमित नान्दाल (थाना सुनगढी पीलीभीत)	5. हे0का0 मनोज कुमार (साइबर सैल पीलीभीत)
6. का0 1327 राजू वर्मा (थाना सुनगढी पीलीभीत)	6. का0 देवेन्द्र कुमार (साइबर सैल पीलीभीत)

(2)गिरफ्तार अभि0 गणो के नाम-

(1) बन्टी उम्र 22 वर्ष पुत्र सईद खां नि0 मो0 फीलखाना थाना कोतवाली पीलीभीत-अपराध धारा 302 भादवि
(2) आमान उम्र 20 वर्ष पुत्र मो0 हफीज खां नि0 मो0 फीलखाना थाना कोतवाली पीलीभीत - अपराध धारा 302 भादवि
(3) आजम उम्र 25 वर्ष पुत्र परवेज खां नि0 ग्राम नौगवा पकडिया थाना सुनगढी पीलीभीत- अपराध धारा 120बी/212 भादवि सम्बन्धित धारा 302 भादवि आपराधिक षणयन्त्र की योजना व अभि0गणो को शरण देना

(3)**बरामदगी**- घटना में प्रयुक्त मो0सा0 न0 यूपी26एई3467 हीरो एचएफ डीलेक्स रंग काला- जब्ती करण जुर्म धारा 207 वाहन अधिनियम।